रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1999/भाद्र 8, 1921
No. 70] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1999/BHADRA 8, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1999

सं. 8/1(1)/99/केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, निम्नलिखित आदेश करता है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) इस आदेश का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 1999 है ।

(ii) यह आदेश 26 अप्रैल, 1999 को लागू हुआ समझा जाएगा, जिस तारीख को केन्द्रीय विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(iii) इस आदेश में दिए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जोकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 में परिभाषित हैं ।

2. आयोग के कार्यालय का स्थान और कार्य समय

अगले आदेश तक, आयोग का प्रधान कार्यालय कोर 3, पांचवा तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 मे अवस्थित होगा । आयोग का कार्य-समय प्रातः 9.30 से सांय 6 बजेतक होगा जिसमें 1.30 अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक भोजनावकाश होगा ।

3. आदेशों का अभिप्रमाणन

सचिव के अतिरिक्त, न्यापीठ अधिकारी आयोग के न्यायिक आदेशों के अधिप्रमाणन के लिए सक्षम होंगे ।

4. <u>आयोग की मुहर</u>

आयोग की प्राधिकारिक मुहर निम्नवत होगी:

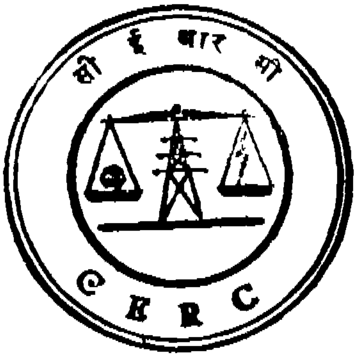

5. <u>याचिका, आवेदन, उत्तर आदि प्रस्तुत करना</u>

सभी याचिकाएं, आवेदन, उत्तर आदि आयोग के प्रधान कार्यलय में सभी कार्य-दिवसों पर, कार्य-समय के दौरान न्यायपीठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।

6. <u>आयोग के समक्ष अभ्यावेदन करने के लिए प्राधिकार</u>

(i) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में पक्षकार है, आयोग के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के लिए और इस प्रयोजन के लिए सभी या कोई अन्य कार्य करने के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या किसी अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को,जो किसी कानून निकाय का सदस्य हो, या अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ।

स्पष्टीकरण: किसी कानूनी निकाय के सदस्य से अर्थ है व्यवसायरत चार्टड लेखाकार, कंपनी सचिव या लागत और संकर्म लेखाकार ।

(ii) आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला और कार्य करनेवाला अधिवक्ता उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसके लिए वह उपस्थित हो रहा है,सम्यक रूप से निष्पादित वकालतनामा फाइल करेगा ।

(iii) आयोग के समक्ष किसी पक्षकार को अभ्यावेदित करने वाले विधि व्यवसायी के सिवाय कोई व्यक्ति उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षिरत उपाबंध-I के प्ररूप में उपस्थिति ज्ञापन दाखिल करेगा ।

7. <u>प्राप्ति स्टांप सहित आयोग की मुहर</u>

(i) याचिका, आवेदन, उत्तर या अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति, जो न्यायपीठ अधिकारी होगा, सभी प्रतियों के प्रथम पृष्ठ पर आयोग की मुहर सहित प्राप्ति मुहर लगाएगा और मुहर पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(ii) याचिका, आवेदन, उत्तर या अन्य दस्तावेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपाबंध-II के अनुसार, विहित डायरी रजिस्टर में उसके ब्यौरों को प्रविष्ट करेगा और डायरी संख्या समनुदेशित करेगा । वही डायरी संख्या सभी प्रतियों पर प्रविष्ट की जाएगी ।

(iii) प्राप्ति मुहर का रूपविधान (फारमेट) निम्नानुसार होगा:-

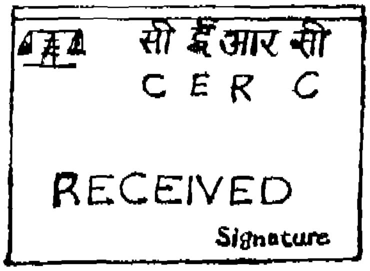

8.त्रुटियों की संसूचना

(i) यदि संवीक्षा करने पर, कोई याचिका, आवेदन या अभिवचन त्रुटियुक्त पाया जाता है तो त्रुटियों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सुधारने की सलाह दी जाएगी। त्रुटियों को सूचित करने वाले मानक पत्र, उपाबंध-III के प्ररूप के अनुसार होगा ।

(ii) यदि संबद्ध पक्षकार मंजूर किया गए समय के भीतर त्रुटियों को सुधारता है तो याचिका पंजीकृत की जाएगी और आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

(iii) यदि पक्षकार कार्यालय आपत्ति का विरोध करता है और उसके सचिव भी संतुष्ट नहीं होते या यदि संबंद्ध पक्षकार अन्यथा उसको मंजूर किए गए समय के भीतर सुधारने में असफल रहता है तो सचिव मामले को युक्तियुक्त आदेश के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे।

9. प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना

(i) प्रत्येक मूल अथवा संसोधित अंतरिम आदेश तथा अंतिम आदेश की प्रतिलिपि संबंध पक्षकारों को नि:शुल्क भेजी जाएगी ।

परन्तु यह कि जब तक आयोग द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, अंतिम आदेश की प्रति किसी ऐसे पक्षकार को नहीं भेजी जाएगी जो उपस्थित न हुआ हो।

(ii) आयोग के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति या आयोग के समक्ष कार्यवाहियो के अभिलेख के भाग रूप कोई दस्तावेज, अभिप्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति उपाबंध iv के अनुसार, विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(iii) प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन के साथ सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग,नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 50/- रुपए की फीस होगी ।

(iv) आवेदन प्रति का रजिस्टर उपाबंध v में यथाविहित प्ररुप में रखा जाएगा ।

(v) प्रमाणित प्रतियाँ, यथासाध्य, उस क्रम में तैयार की जाएंगी जिस क्रम में आवेदित प्रति के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो ।

(vi) प्रमाणित प्रतियाँ फोटोकापी करने वाली प्रक्रिया या टाइपिंग द्वारा तैयार की जाएगी और जब प्रति इस प्रकार तैयार की जाती है तो, उसका प्रति तैयार करने वाले व्यक्ति, अपना यह समाधान करने के लिए कि प्रति निष्ठापूर्वक तैयार की गई है और वांछित दस्तावेज को पढ़े जाने योग्य प्रत्युत्पादित किया गया है, द्वारा मिलान किया जाएगा ।

(vii) दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ के पीछे, निम्नवत पृष्ठांकित किया जाएगा:

(i) आवेदन का क्रम संख्यांक
(ii) आवेदक का नाम
(iii) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख
(iv) पृष्ठों की संख्या
(v) प्रति फीस का प्रभार
(vi) प्रति तैयार करने वाली तारीख
(vii) जारी करने की तारीख

(viii) पृष्ठांकन इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई रबर स्टांप की सहायता से किया जाएगा ।

(ix) आयोग के न्यायपीठ अधिकारी को प्रमाणित प्रतियाँ देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । वह प्रमाणित प्रति के अंतिम पृष्ठ के पीछे पृष्ठांकन के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(x) प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने वाले सभी मामले में, चाहे वे निःशुल्क प्रदान की जाए या पक्षकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर जाएं, न्यायपीठ अधिकारी प्रति के सभी पृष्ठों पर आयोग की मुद्रा लगाएगा । वह दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर निम्नावत मुहर लगाएगा तथा अपने हस्ताक्षर करेगा

<u>प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि</u>

(xi) प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए संदेय प्रतिलिपि फीस, प्रत्येक पृष्ठ में पृष्ठ में शब्दों/पंक्तियों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, 3 रुपए प्रति पृष्ठ होगी ।

10. <u>अभिलेखों का निरीक्षण</u>

(i) दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन उपबंध vi में दिए गए प्ररूप में होगा और एक दिन के लिए प्रत्येक निरीक्षण हेतु, उसके साथ सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग,नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 100/- रुपए का शुल्क होगा ।

(ii) अभिलेखों का निरीक्षण, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में <u>कार्यदिवस घंटों के दौरान, (किसी कार्यदिवस पर)</u> आयोग के किसी कार्यदिवस पर सामान्यतः 2.30 बजे से 4.30 बजे के दौरान किया जा सकेगा।

(iii) अभिलेखों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति निरीक्षण करते समय, किसी भी रीति से, अभिलेखों को अस्त-व्यस्त नहीं करेगा, उन्हें फाड़ेगा नहीं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा ।

(iv) निरीक्षण का पर्यवक्षेण करने वाला अधिकारी यदि उसकी राय में, निरीक्षण करने की प्रक्रिया में किन्ही अभिलेखों को नुकसान होने की संभावना है तो किसी भी समय और निरीक्षण करने के लिए मना कर सकेगा और सचिव को तत्काल रिपोर्ट करेगा और मामले पर अगला आदेश प्राप्त करेगा ।

(v) उपाबंध vii के प्ररूप अनुसार, अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए रजिस्टर रखा जाएगा ।

<u>याचिकाओं, आवेदनों आदि से संबंधित फीस</u>

(i) आयोग के समक्ष फाइल की जाने वाली प्रत्येक याचिका/आवेदन के साथ अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

परन्तु यह कि आरएलडीसी और भारत सरकार से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता समूहों को विहित शुल्क का संदाय करने से छूट प्राप्त है ।

(ii) फीस, सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश द्वारा संदेय होगी ।

(iii) प्राप्त की गई फीस उपाबंध viii के प्ररूप के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए विहित रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी ।

संजीव एस. अहलुवालिया, सचिव

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/150/99]

अनुसूची

फीस संरचना

क्रम सं.	याचिका की प्रकृति	कानूनी उपबंध	फीस (रुपयों में)
1.	उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	वि.वि.आ.अधिनियम 13(क) और (ख)	10 लाख रुपए
2.	पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	वि.वि.आ.अधिनियम, 13 (ग)	2 लाख रुपए
3.	पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए याचिका	भा. वि. अधिनियम, 27 ग (1)	@
4.	आर एल डी सी एस/ एस एल डी.सी/सीईए के विनिश्चय प्रवर्तित करने के लिए याचिका	ई.एस. अधिनियम, 55 (9)	1 लाख रुपए
5.	कोई अन्य याचिका		1 लाख रुपए
6.	दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवेदन	के.वि.वि.आ;(सी.बी.आर.) विनियम,66	100 रुपए प्रतिदिन
7.	प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन	के.वि.वि.आ; (सी.बी.आर.) विनियम 67	3 रुपए प्रति पृष्ठ
8.	अंतर्वर्ती आवेदन		10,000 रुपए

@ फीस पृथक रूप से विहित की जाएगी ।

उपाबंध-I

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका सं----------

-----------के मामले में

-----------अर्जीदार

बनाम

-----------प्रत्यर्थी

उपसंजात होने का ज्ञापन

मैं-----------,-------------के रूप में व्यवसायरत/कार्यरत को---------की ओर से उपस्थित होने के लिए-----------द्वारा प्राधिकृत (प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियाँ दें) किया जा रहा है और पूर्वोक्त मामले के सभी मामलों में,उसके लिए अभिवचन और कार्य करने के लिए वचनबंध करता हूं ।

हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान :__________

तारीख:__________

पत्राचार के लिए पता

उपाबंध-II

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

याचिका का रजिस्टर

क्रम सं.	डायरी सं.	फाइल करने की तारीख	याचिका/आवेदन सं.	प्रार्थी का नाम और पता	प्रत्यर्थी का नाम और पता	याचिका आवेदन की विषय वस्तु	ग्रहण करने की तारीख	पारित अंतरिम आदेश की विशिष्टियाँ यदि कोई हों,	अंतिम आदेश की तारीख और विशिष्टियाँ	उच्च न्यायालय में फाइल की गई अपील,यदि कोई हों, के ब्यौरे	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उपाबंध-III

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

सं.

विषय विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 13 के अधीन याचिका- के विषय में ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर तारीख---------------------------- को फाइल किए गए तारीख----------------------- की आपकी याचिका/आवेदन के संदर्भ में आपको सूचित करने का निदेश हुआ है। कि संवीक्षा करने पर, निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:

1. याचिका केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सी वी आर के अध्याय में विहित प्ररुप में नहीं है ।
2. पक्षकारों के नाम, विवरण और पता बाद शीर्षक (टाइटिल) में नहीं दिया गया है ।
3. निम्नलिखित आवश्यक पक्षकार अभियोजित नहीं किए गए हैं ।
4. याचिका सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित नहीं है ।
5. याचिका शपथपपत्र के माध्यम से सत्यापित नहीं की गई है ।
6. शपथपत्र के.वि.वि.आ., सी.बी.आर के अध्याय II में विहित प्रारुप पर नहीं है
7. शपथपत्र हस्ताक्षरित नहीं है और सक्षम प्राधिकारी के समक्षसशपथ नहीं है ।
8. याचिका की सात प्रतियाँ फाइल नहीं की गई हैं ।
9. याचिकाओं की प्रतियाँ सभी बावत पूरी नहीं हैं ।
10. दस्तावेजों की प्रतियाँ पढ़े जाने योग्य और सम्यक् रूप से प्रमाणित नहीं है ।
11. अंग्रेजी/हिन्दी को छोड़कर सम्यभाषा में अंतर्विष्ट दस्तावेजों और अन्य सामग्री का अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद फाइल नहीं किया गया है।
12. दस्तावेज के अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की अधिप्रमाणिकता नहीं दी गई है ।
13. वकालतनामा/प्राधिकार पत्र फाइल नहीं किया गया है ।
14. वकालतनामा उचित तौर पर निष्पादित नहीं किया गया है और आवश्यक न्यायालय फीस संदत्त नहीं की गयी है ।
15. याचिका/आवेदन के लिए विहित फीस संदत्त नहीं की गई है ।
16. दस्तावेजों की अनुक्रमाणिका फाइल नहीं की गई है ।
17. दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या उचित तौर पर नहीं डाली गई है ।

आपसे, इस पत्र के जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध किया जाता है ऐसा करने में असफल रहे पर, याचिका रद्द समझी जाएगी ।

भवदीय

(न्यायपीठ अधिकारी)

उपाबंध-IV

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

याचिका सं.

---------------प्रार्थी

बनाम

---------------अभ्यर्थी

प्रमाणित प्रति लेने के लिए आवेदन

1.आवेदक का नाम और पता
2. क्या आवेदक मामले का पक्षकार है
3. क्या मामला लंबित है या निपटा दिया गया है
4. जिस दस्तावेज की प्रति के लिए आवदेन किया गया है, तारीख सहित उसका विवरण
5. अपेक्षित प्रतियों की संख्या
6. प्रेषित फीस की रकम और संदाय का ढंग

हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
मंजूर की गई/रद्द की गई
संदेय/संदत्त अतिरिक्त प्रतियों की फीस
और उसके ब्यौरे

सचिव

उपाबंध-V

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

आवेदित प्रति का रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदन की तारीख	आवेदक का नाम	याचिका सं.	उस दस्तावेज की विशिष्टियां, जिसकी प्रति अपेक्षित है	प्राप्त रकम	डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश सं. तारीख, बैंक की विशिष्टियां	पृष्ठों की संख्या	अतिरिक्त रकम और डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश की विशिष्टियाँ	तैयार करने की तारीख	परिदान की तारीख	प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

उपाबंध VI

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

याचिका सं.

------------------प्रार्थी

बनाम

------------------प्रत्यर्थी

दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन

मैं, उपर्युक्त मामले में दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण की अनुज्ञा लेने के लिए आवेदन करता हूं ब्यौरे निम्नवत है:

1. अनुज्ञा चाहने वाले व्यक्ति का नाम और पता

2. क्या वह मामले का पक्षकार है या वह किसी पक्षकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि है । आवश्यक विशिष्टियाँ दें ।

3. निरीक्षण किए जाने वाले पेपरों/ दस्तावेजों के ब्यौरे

4. निरीक्षण करने का प्रयोजन

5. किए जाने वाले निरीक्षण की तारीख और अवधि

6. संदेय फीस की रकम और संदाय का ढंग ।

स्थान :
तारीख:

हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए
----------------को निरीक्षण मंजूर/रद्द किया गया ।

सचिव

उपाबंध-VII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

अभिलेखों के निरीक्षण के लिए रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदक का नाम	आवेदन की तारीख	निरीक्षण किए जाने वाले अभिलेख	निरीक्षण करने के प्रयोजन	डिमांड ड्राफ्ट/ संदाय आदेश सं, तारीख बैंक की विशिष्टियां सहित संदत्त रकम	निरीक्षण करने की तारीख	वह पदधारी जिसकी उपस्थिति में अभिलेख का निरीक्षण किया गया	अभिलेख निरीक्षण करने वाले सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपाबंध-VIII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोधी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

फीस रजिस्टर

क्रम सं.	याचिका/. आवेदन सं.	डिमांड ड्राफ्ट पे आर्डर प्रेषित करने वाले पक्षकार का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर को प्रेषित करने का प्रयोजन	डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर की संख्या और तारीख	पे आर्डर डिमांड ड्राफ्ट की रकम की विशिष्टियाँ	बैंक का नाम	हस्ताक्षर करने वाले का नाम	उस पदधारी का नाम और हस्ताक्षर जिसने संदाय आदेश पास किया है	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1999

No. 8/1(1)/99/CERC.—In exercise of power conferred under Regulation 110 of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, and all other powers enabling in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following order :

1. **Short title and commencement**

(i) This order shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Miscellaneous Provisions) Order 1999.

(ii) This shall be deemed to have come into force on 26th April, 1999, the date of the publication of Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations 1999 in the official gazette.

(iii) The words and expressions used in this order shall have the same meaning as defined in the Electricity Regulatory Commissions Act 1998 and the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations 1999.

2. **Place of Office and working hours of the Commission**

The Head Office of the Commission, until further order shall be located at Core 3, 5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi – 110 003. The working hours of the Commission shall be between 9.30 a.m. to 6.00 p.m., with lunch break from 1.30 p.m. to 2.00 p.m.

3. **Authentication of orders**

In addition to the Secretary, the Bench Officer shall be competent to authenticate the judicial orders of the Commission.

4. **Seal of the Commission**

The official seal of the Commission shall be as under:

5. **Presentation of petitions, applications, replies etc.**

All petitions, applications, replies etc. and other documents shall be filed before the Bench Officer at the Head Office of the Commission during the working hours, on all working days.

6. **Authority to represent before the Commission**

(i) A person who is a party to any proceedings before the Commission may either appear in person or may authorise a legal practitioner or any other professional who is a member of a statutory body or any of its officers to present its case before the Commission and to do all or any of the acts for the purpose.

Explanation: A member of a statutory body means a practising Chartered Accountant, Company Secretary or Cost and Works Accountant.

(ii) A legal practitioner appearing and acting in the proceedings on behalf of any person before the Commission shall file a Vakalatnama, duly executed by or on behalf of the person for whom he appears.

(iii) Any person other than a legal practitioner representing a party before the Commission shall file a Memorandum of Appearance, in the form in Annexure I, duly signed by him.

7. **Seal of the Commission with receipt stamp**

(i) The person receiving the petition, application, reply or other documents, who shall be Bench Officer shall affix the receipt stamp with the seal of the Commission on the first page of all the copies and put his initials on the stamp.

(ii) The person receiving the petition, application, reply, or other documents shall enter the details thereof in the Diary register prescribed, as per Annexure II and assign a diary number. The same diary number shall be entered on all the copies.

(iii) The format of the receipt stamp shall be as under:

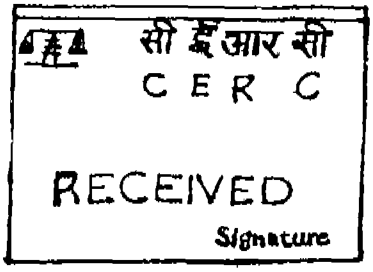

8. **Communication of defects**

(i) If on scrutiny, any, petition, application or pleading is found to be defective, the defects shall be notified to the party concerned, advising him to rectify the defects within a specified time. A standard letter for notifying the defects shall be in the form as per Annexure III.

(ii) If the party concerned rectifies the defects within the time granted, the petition shall be registered and placed before the Commission.

(iii) In case the party contests the office objection but the secretary is not satisfied or if the party concerned otherwise fails to rectify them within the time granted, the Secretary shall place the matter before the Chairman for appropriate order.

9. **Grant of Certified copies**

(i) Every order granting, refusing or modifying interim relief and final order shall be communicated to the parties to the petition free of cost.

Provided that unless ordered otherwise by the Commission, a copy of the final order may not be sent to any party who has not entered appearance.

(ii) Any person desirous of obtaining a certified copy of any order of the Commission or any document forming part of the record of proceedings before the Commission, may submit an application in the prescribed form as per Annexure IV.

(iii) The application for certified copy shall be accompanied by the fee of Rs. 50/- in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Asstt. Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi.

(iv) A Register of Copy Applications shall be maintained in the form as prescribed in Annexure V.

(v) As far as practicable, the certified copies shall be prepared in the order in which the applications are entered in Register of Copy Applications.

(vi) The certified copies shall be prepared by photocopying process or by typing and when the copy is so made, it shall be compared by the person preparing the copy, to satisfy himself that the copy prepared faithfully and legibly reproduces the document desired.

(vii) An endorsement as under shall be affixed on the reverse of the last page of the document:

(i) Sl. No. of the application
(ii) Name of the applicant
(iii) Date of presentation of the application
(iv) No. of pages
(v) Copying fee charged
(vi) Date on which copy is ready
(vii) Date of delivery

(viii) The endorsement shall be made with the help of a rubber stamp got prepared for the purpose. The entries shall be made in ink.

(ix) The Bench Officer of the Commission shall be authorised to issued the certified copies. He shall affix his signature below the endorsement on the reverse of the last page of the certified copy.

(x) In all cases of supplying certified copies, whether supplied free or on the basis of the application submitted by the party, the Bench Officer shall cause to affix the seal of the Commission on all pages of the copy. He shall also append a certificate as under and affix his initials on the last page of the document:

Certified True Copy

(xi) The copying fee payable for obtaining a certified copy shall be Rs. 3/- per page irrespective of number of words/lines in each page.

10. **Inspection of Records**

(i) The application for inspection of documents shall be in the form in Annexure VI and shall be accompanied by a fee of Rs. 100/- for each inspection for one day in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Asstt. Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi.

(ii) The inspection of records shall be allowed on working days during working hours in the presence of an officer authorised for that purpose, ordinarily during 1430 hours to 1630 hours on any working day of the Commission.

(iii) The person inspecting the records shall not in any manner cause dislocation, mutilation, tampering or damage to records in the course of inspection.

(iv) The officer supervising the inspection may at any time prohibit further inspection, if in his opinion any of the records are likely to be damaged in the process of inspection and shall immediately , make a report about the matter to the Secretary and seek further orders on the matter.

(v) A Register for inspection of Records in the format as per Annexure VII shall be maintained.

11. **Fee on petitions, applications, etc.**

(i) Every petition/application filed before the Commission shall be accompanied by fee specified in the schedule.

Provided that RLDCs and the Consumer Groups registered with the Government of India are exempt from payment of fee prescribed.

(ii) The fee shall be payable by means of demand draft/pay order drawn in favour of Asstt. Secretary, Central Electricity Regulatory Commission.

(iii) The fee received shall be entered into the register prescribed for the purpose in the form as per Annexure VIII.

SANJEEV S. AHLUWALIA, Secy.

[Advt./III/IV/Exty./150/99]

SCHEDULE

FEE STRUCTURE

Sl. No.	Nature of Petition	Statutory Provision	Fee (in Rs.)
1.	Petition for determination of generation tariff	ERC Act 13(a)&(b)	Rs. 10 lakhs
2.	Petition for determination of transmission tariff	ERC Act 13(c)	Rs. 2 lakhs
3.	Petition for grant of transmission licence	IE Act 27C(1)	@
4.	Petition for enforcing decision of RLDCS/SLDC/CEA	ES Act 55(9)	Rs. 1 lakh
5.	Any other petition		Rs. 1 lakh
6.	Application for inspection of documents	Regulation 66 CERC, CBR	Rs. 100/- per day
7.	Application for obtaining certified copies	Regulation 67 CERC, CBR	Rs. 3/- per page
8.	Interlocutory application		Rs.10,000/-

@ Fee shall be prescribed separately

Annexure I

Before the Central Electricity Regulatory Commission
New Delhi.

Petition No./

In the matter of

.... Petitioner

V/s

.... Respondent(s)

Memo of Appearance

I, ... practising/working as ...., having been authorised by ....(furnish the particulars of the person authorising), hereby enter appearance on behalf of .... and undertake to plead and act for him /it in all matters in the aforesaid case.

Place ____________ Signature & Designation

Date ____________

Address for correspondence

Annexure II

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Core 3, 5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi.
Tele No. 4361145 Fax No. 4360010

Register of Petitions

S.No.	Diary No.	Date of filing	Petition/ Application No.	Name & address of the petitioner	Name & address of the respondents	Subject matter of the petition/ Application	Date of admission	Particulars of interim order passed, if any	Date and particulars of final order	Details of appeal if any filed in the High Court	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Annexure – III

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Core 3, 5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi – 110 003.
(Tele No. 4361145 Ext. 315 FAX No 4360010)

No. June , 1999

Subject: Petition under section 13 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 – In the matter of

Dear Sir,

I am directed to refer to your petition/application dated . . ..filed on . . . . . on the above subject and to inform you that on scrutiny, the following defects have been pointed out:

1. The petition is not in the form prescribed in Chapter of the CERC, CBR.
2. The name, description and address of the parties have not been furnished in the cause title
3. The following necessary parties have not been impleaded:
   1
   2.
   3.
4. The petition has not been duly signed
5. The petition has not been verified through an affidavit.
6. The affidavit is not on the form prescribed in Chapter II of he CERC, CBR
7. The affidavit has not been signed and sworn before the competent authority.
8. Seven copies of the petition have not been filed.
9. The copies of the petitions are not complete in all respects
10. The copies of the documents are not legible and duly attested.

11. English/Hindi translation of the documents and other material contained in a language other than English/Hindi, has not filed.
12. Authenticity of the English/Hindi translation of the document has not been furnished.
13. The Vakalatnama/letter of authorisation has not been filed.
14. The Vakalatnama is not properly executed and necessary court fee has not been paid.
15. The prescribed fee for the petition/application has not paid.
16. The index of documents has not been filed.
17. The pagination of the documents has not done properly.

You are requested to rectify the defects within three weeks of issue of this letter, failing which the petition shall be deemed to have been rejected.

Yours faithfully,

(Bench Officer)

Annexure – IV

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Core 3, 5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi.
Tele No 4361145 Fax No 4360010

Petition No.

.... Petitioner

Vs

.... Respondents

Application for grant of certified copy

1. Name & address of applicant.
2. Whether the applicant is party to the case.
3. Whether the case is pending or disposed of.
4. Description with date of the documents of which copy is applied for.
5. No. of copies required.
6. Amount of fee remitted and mode of payment.

Signature

For office use

Granted/Rejected
Additional copying fee
Payable/Paid and details thereof

Secretary

Annexure V

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Core 3, 5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi.
Tele No. 4361145 Fax No. 4360010

Register of Copy Applications

Sl.No.	Date of Application	Name of the Applicant	Petition No.	Particulars of the document whose copy is required	Amount received	Particulars of Demand Draft/Pay Order No. Date Bank	No. of pages	Addl. Amount and particulars of Demand Draft/Pay Order	Date of preparation	Date of delivery	Signauture of the person receiving	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Annexure VI

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Core 3, 5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi.
Tele No. 4361145 Fax No. 4360010

Petition No.

.... Petitioner

Vs

.... Respondents

Application for Inspection of Documents/Records

I hereby apply for grant of permission to inspect the documents/records in the above case. The details are as follows:

1. Name & Address of the person seeking permission

2. Whether he is party to the case or he is the authorised representative of any party. Furnish necessary particulars

3. Details of papers/documents sought to be inspected

4. Purpose for seeking inspection

5. Date and duration of the inspection sought

6. The amount of fee payable and the mode of payment

Place:

Date: ____ Signature

Office use

Granted inspection on ________________ /Rejected

Secretary

Annexure – VII

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Core 3, 5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi.
Tele No. 4361145 Fax No. 4360010

Register for inspection of Records

Sl.No	Name of the applicant	Date of application	Records to be inspected	Purpose of inspection	Amount paid with particulars of Demand Draft/Pay Order No. Date Bank	Date on which inspected	Official in whose presence the record inspected	Signature of all person inspecting the records	Remarks

Annexure VIII

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Core 3,5th Floor, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi.
Tele No. 4361145 Fax No. 4360010

Fee Register

Sl.No.	Petition/ Application No.	Name of the Party remitting DD/Pay Order	Purpose of remittance of DD/Pay Order	No. and date of D.D./ Pay Order	Particulars of IPO/DD Amount	Name of the Bank	Name of initials of Clerk	Name and initial of officials to whom Pay Order has been passed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ad. /III/IV/Exty/150/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.